

15

व्यवसाय का वित्तीयन



आप ने एक डॉक्टर को अपना चिकित्सालय चलाते, एक दुकानदार को किराना सामग्री बेचते एवं दर्जी को वस्त्रों की सिलाई करते देखा होगा। ये सभी अपने पेशे या व्यवसाय को जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं। इन सभी को व्यवसाय या पेशे में सफलता हेतु आवश्यक सामग्री (माल), यंत्र एवं उपकरण क्रय करने के लिये कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है। डॉक्टर को अपना चिकित्सालय चलाने के लिए चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण एवं फर्नीचर, दुकानदार को किराना का सामान एवं दर्जी को अपने कार्य के लिए सिलाई मशीन, धागे व सिलाई सामग्री क्रय करनी होती है। अतः प्रत्येक प्रकार के पेशे या व्यवसाय में परिचालन की प्रत्येक अवस्था में धन की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि व्यवसायी आवश्यक धनराशि कहां से एकत्र करेंगे? क्या वे अपने स्वयं के धन से व्यवसाय आरम्भ करने एवं उसे चलाने में सक्षम होंगे? स्पष्ट रूप से यह कठिन है और बड़े व्यवसाय के लिए तो यह संभव ही नहीं है। इसलिये हमें यह ज्ञात करना होगा कि आवश्यक धन (उसे पूँजी भी कहते हैं) को एकत्र (प्रबन्ध) करने के इनके पास कौन—से विकल्प उपलब्ध हैं। इस पाठ में ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे।



उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने करने के बाद आप :

- व्यावसायिक वित्त का अर्थ बता सकेंगे;
- व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता एवं महत्व की व्याख्या कर सकेंगे;
- व्यावसायिक वित्त के विभिन्न प्रकारों की पहचान कर सकेंगे;
- अल्पकालीन वित्त को प्राप्त करने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कर सकेंगे;
- बैंक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का सुझाव दे सकेंगे; और



टिप्पणी

- दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कर सकेंगे।

15.1 व्यावसायिक वित्त

हम सभी को ज्ञात है कि प्रत्येक व्यवसाय को प्रारम्भ करने एवं चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है। चाहे यह व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, विनिर्माता का हो या क्रय विक्रय संबंधी व्यापार का या फिर परिवहन व्यवसाय, प्रत्येक के लिए धन आवश्यक है। किसी भी क्रिया के लिए जो धन चाहिये उसे वित्त कहते हैं। इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक धन एवं उसके प्राप्त करने के तरीकों को व्यावसायिक वित्त कहते हैं। इस प्रकार इसमें धन प्राप्ति एवं उसका उपयोग सम्मिलित है जिससे व्यावसायिक फर्म अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक एवं प्रभावी रूप से चला सकने में समर्थ होगी।

आप जानते हैं कि एक व्यावसायिक इकाई पर्याप्त धन राशि के बिना एक कदम भी आगे नहीं जा सकती है। वित्त के महत्व की व्याख्या करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम यह ज्ञात कर लें कि व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता क्यों होती है।

प्रत्येक व्यवसाय में प्रमुख रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है:

- स्थायी सम्पत्ति का क्रय :** प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय में कुछ स्थायी सम्पत्तियां जैसे भूमि एवं भवन, फर्नीचर एवं मशीन, आदि की आवश्यकता होती है। इन सम्पत्तियों का क्रय करने के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि की आवश्यकता होती है।
- दैनिक व्यय का भुगतान :** व्यवसाय की स्थापना के बाद दैनिक क्रियाओं के व्यय जैसे कच्चे माल का क्रय, कर एवं किराये का भुगतान, टेलीफोन, बिजली के बिलों और वेतन व मज़दूरी के भुगतान हेतु धन की आवश्यकता होती है।
- व्यवसाय का विकास :** व्यवसाय के विकास में वर्तमान व्यवसाय का विस्तार एवं उसमें नवीन प्रकार के व्यवसायों का समावेश सम्मिलित है। ऐसे व्यावसायिक विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है।
- उत्पादन एवं बिक्री के समय अन्तराल की पूर्ति :** उत्पादन पर किये गए व्यय की वसूली उसके विक्रय से होती है। सामान्यतः उत्पादन एवं विक्रय में समय अन्तराल होता है। विक्रय एवं रोकड़ वसूली में भी समय अन्तराल होता है। इस समय में निरन्तर व्यय भी होते रहते हैं। इन सभी के लिये धन की आवश्यकता होती है।
- आकस्मिक व्ययों की पूर्ति :** व्यवसाय में होने वाले उतार-चढ़ाव एवं कुछ अप्रत्याशित समस्याओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए, एक विनिर्माता कुछ समय पश्चात कच्चे माल की कमी की सभावना देखता है। तब वह बड़ी मात्रा में कच्चेमाल का भण्डारण करना चाहेगा। लेकिन ऐसा वह तभी कर सकेगा जब उसके पास पर्याप्त धन उपलब्ध होगा।

- 6. व्यावसायिक अवसरों का लाभ :** व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिये भी धन की आवश्यकता होती है। मान लीजिये, एक कम्पनी निविदा (टेंडर) भरना चाहती है। जिसके आवेदन के साथ कुछ आवश्यक धनराशि भी जमा करानी है। धनराशि की अनुपलब्धता की दशा में कम्पनी के लिए निविदा भरना सम्भव नहीं होगा। एक अन्य उदाहरण लीजिए। जब कोई स्टाकिस्ट विशेष माल के बड़ी मात्रा में क्रय करने पर विशेष छूट देता है तब एक विनिर्माता इस प्रकार के प्रस्ताव का लाभ तभी उठा सकेगा जब उसके पास इस माल को खरीदने के लिये पर्याप्त धन होगा।



टिप्पणी

15.2 व्यावसायिक वित्त का महत्त्व


वित्त प्रत्येक व्यवसाय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसे व्यवसाय की जीवन—रेखा माना जाता है। अपर्याप्त वित्त व्यवसाय के समक्ष अनेक समस्यायें उत्पन्न करता है और इसके कारण व्यवसाय बंद भी हो सकता है।

आजकल वित्त का महत्त्व सामान्य आवश्यकताओं के साथ निम्नलिखित कारणों से भी काफी बढ़ गया है।

- (क) **बड़े पैमाने की क्रियाओं की आवश्यकता :** वर्तमान समय में व्यावसायिक क्रियायें सामान्य रूप से बड़े पैमाने पर की जाती हैं। अब एक देश के उत्पाद दूसरे देशों में स्वतंत्र रूप से एवं आसानी से उपलब्ध हैं। आज समस्त विश्व एक बहुत बड़ा बाज़ार बन गया है। इसलिये व्यावसायिक जगत में अधिक समय तक बने रहने के लिये व्यवसायी को अपनी व्यावसायिक क्रियाओं की परिधि का विस्तार एवं कार्य बड़े पैमाने पर करने होंगे। व्यवसाय के इस विस्तार के लिए हमेशा अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है।
- (ख) **आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग :** वर्तमान समय में प्रत्येक व्यवसाय के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उत्पादन प्रक्रिया एवं वितरण प्रक्रिया में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिये उत्पादन प्रक्रिया में आधुनिक मशीनों, उपकरणों व यंत्रों का प्रयोग आवश्यक है। अतः विश्व के बाज़ारों में चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए वित्त (धन) की आवश्यकता है।
- (ग) **विक्रय संवर्धन :** प्रतिस्पर्धा के इस युग में विक्रय संवर्धन की क्रियाओं (साधन) पर बड़ी मात्रा में धनराशि व्यय करनी होती है। इनमें विज्ञापन, व्यक्तिगत बिक्री, विक्रय संवर्धन योजनाओं पर व्यय, घर पर माल की निशुल्क सुपुर्दगी एवं वस्तु विक्रय पश्चात सेवा, आदि सम्मिलित हैं जिसके लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता होती है।

15.3 व्यावसायिक वित्त के प्रकार

आपने पढ़ा है कि धन प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया का महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग है। अब हम व्यावसायिक उद्यमों की वित्तीय आवश्यकताओं के प्रकार एवं प्रकृति का अध्ययन करेंगे। अलग—अलग व्यवसाय में आवश्यक कोष की मात्रा एवं उसके प्रकार सामान्य रूप से भिन्न



टिप्पणी

भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ— यदि व्यवसाय का आकार बड़ा है तब उसके लिए आवश्यक धन की मात्रा भी अधिक होगी। इसी प्रकार विनिर्माण व्यावसायिक इकाइयों में व्यापारिक (क्रय—विक्रय) इकाइयों की तुलना में वित्तीय आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होगी। व्यवसाय को दीर्घकाल के लिए कोष (पूँजी) की आवश्यकता स्थायी सम्पत्तियों जैसे भूमि एवं भवन, मशीनरी, आदि में लगाने के लिए होती है। कभी—कभी व्यवसाय को अल्प अवधि के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। इसलिये व्यावसायिक वित्त को व्यवसाय की आवश्यकता की अवधि के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है।

(क) अल्पकालीन वित्त (ख) मध्यकालीन वित्त (ग) दीर्घकालीन वित्त

अल्पकालीन वित्त

दिन प्रतिदिन के व्ययों के लिये आवश्यक धनराशि को अल्पकालीन वित्त कहते हैं। अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता कच्चे माल के क्रय, मज़दूरी, किराया, बीमा, बिजली एवं जल के बिल, आदि का भुगतान करने के लिए होती है। अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता एक वर्ष या इससे कम के लिये होती है। ऐसी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता को कार्यशील पूँजी या चक्रशील पूँजी कहते हैं। यहां पर यह ध्यान में रखना होगा कि कार्यशील पूँजी का एक भाग दीर्घकालीन प्रकृति का होता है एवं धन की एक निश्चित न्यूनतम राशि माल का स्टाक रखने एवं नित्यप्रति होने वाले खर्चों के लिए आवश्यक होती है।

मध्यकालीन वित्त

मध्यकालीन वित्त का उपयोग उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति में होता है जहां पर विनियोग एक वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम के लिये होता है। आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण और विशेष संवर्धन के कार्यक्रम, आदि इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं।

दीर्घकालीन वित्त

पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिये एक व्यवसाय को जिस धनराशि की आवश्यकता होती है, उसे दीर्घकालीन वित्त कहते हैं। साधारणतया इस प्रकार के धन की आवश्यकता स्थायी सम्पत्ति जैसे भूमि एवं भवन, प्लान्ट एवं मशीनरी, फर्नीचर, आदि को खरीदने के लिये होती है। दीर्घकालीन वित्त को स्थायी पूँजी भी कहा जाता है क्योंकि ऐसी आवश्यकता स्थायी प्रकृति की होती है।

वित्त के प्रकार	वापिसी की अवधि	उद्देश्य
अल्पकालीन	एक वर्ष से कम	कच्चेमाल का क्रय, मज़दूरी, किराया, बीमा आदि का भुगतान।
मध्यकालीन	एक वर्ष से पांच वर्ष तक	आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, विज्ञापन पर भारी व्यय।
दीर्घकालीन	पांच वर्ष से अधिक	भूमि एवं भवन, प्लान्ट एवं मशीनरी, आदि का क्रय।

प्रत्येक संगठन को विभिन्न प्रकार के वित्त की आवश्यकता दीर्घकाल, मध्यकाल एवं अल्पकाल के लिये होती है। किन्तु इन तीनों प्रकार के वित्त की मात्रा का अनुपात एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में भिन्न-भिन्न होता है। उदाहरणार्थ— इस्पात उद्योग में भूमि एवं भवन तथा मशीन के लिये चमड़े का सामान या प्लास्टिक की बाल्टी बनाने वाले उद्योग की अपेक्षा अधिक दीर्घकालीन वित्त के निवेश की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हौज़री का सामान बनाने में दीर्घकालीन वित्त के स्थान पर अल्पकालीन वित्त की अधिक आवश्यकता होगी।



टिप्पणी

स्थायी एवं कार्यशील पूँजी की अवधारणा

आप यह जानते हैं कि व्यवसाय की पूँजी का निवेश विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों जैसे भूमि एवं भवन, फर्नीचर, मशीनें, कच्चामाल, तैयार माल के स्टाक, आदि में किया जाता है। इनमें से कुछ सम्पत्तियों का उपयोग लम्बी अवधि तक किया जाता है। साधारणतया ये स्थायी प्रकृति की होती हैं। स्थायी पूँजी का अभिप्राय व्यवसाय की कुल सम्पत्तियों के उस मूल्य से है जो टिकाऊ एवं स्थायी प्रकृति की हैं तथा व्यवसाय में लम्बे समय तक प्रयोग में आती हैं। इन सम्पत्तियों में भूमि एवं भवन, मशीन एवं फर्नीचर, आदि सम्मिलित होते हैं। इन सम्पत्तियों में विनियोजित पूँजी स्थिर होती है क्योंकि ये व्यवसाय के स्थायी प्रयोग के लिए चाहिए, न कि बिक्री के लिए।

कार्यशील पूँजी का अभिप्राय उन सम्पत्तियों से है जो या तो रोकड़ रूप में हैं या सरलता से रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती हैं। रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार, प्राप्यविल, स्टाक, आदि इसके उदाहरण हैं। इन सम्पत्तियों को चल सम्पत्ति भी कहते हैं। कार्यशील पूँजी की आवश्यकता व्यवसाय संचालन के दिन प्रतिदिन के व्ययों के लिये होती है। कार्यशील पूँजी के एक भाग की आवश्यकता रस्टॉक का न्यूनतम स्तर बनाये रखने एवं मज़दूरी और वेतन, आदि के भुगतान के लिये हर समय रहती है। कार्यशील पूँजी के इस भाग को “स्थायी” कार्यशील पूँजी कहते हैं।



पाठगत प्रश्न 15.1

1. व्यवसाय की विभिन्न आवश्यकताओं को सूचीबद्ध कीजिए जिनके लिए धन की आवश्यकता होती है।
 2. उन विशिष्ट व्ययों के उदाहरण दीजिये जिन के लिए निम्नलिखित काल/ समय अवधियों के लिए धन की आवश्यकता होगी।

(क) अल्पकाल	(ख) मध्यकाल	(ग) दीर्घकाल
-------------	-------------	--------------



टिप्पणी

15.4 वित्त के स्रोत

वित्तीय मांग की आवश्यकता, महत्व एवं प्रकारों का अध्ययन करने के पश्चात अब हमें यह ज्ञात करना होगा कि व्यवसायी अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि कहाँ से प्राप्त करते हैं। उनको आवश्यक राशि कौन देता है? अब हम उन विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करेंगे जिनसे साधारणतया व्यवसायी व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन का प्रबन्ध करते हैं।

मुख्य रूप से स्रोतों की दो प्रमुख श्रेणियां हैं जिनके द्वारा व्यवसायी अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक धन प्राप्त कर सकता है। वे हैं (1) आन्तरिक स्रोत, एवं (2) बाह्य स्रोत। आप जानते हैं कि व्यवसाय को आरम्भ करने में एक व्यवसायी या तो अपना धन निवेश करता है या दूसरों से ऋण लेता है अथवा दोनों स्रोतों का प्रयोग करता है। जब व्यवसायी अपना धन (जिसे स्वामी की पूँजी कहते हैं) व्यवसाय में निवेश करता है और व्यवसाय में अर्जित लाभों का एक भाग व्यवसाय में ही रखता है तब ये मिलकर वित्त के आन्तरिक स्रोत होते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन का यह प्रमुख अंग है। लेकिन इस स्रोत की अपनी सीमाएं हैं। अतः व्यावसायिक घरानों को वित्त के बाह्य स्रोत का आश्रय लेना होता है। व्यवसायी जिन विभिन्न बाह्य स्रोतों से वित्त प्राप्त कर सकता है उनमें मित्र एवं सम्बन्धी, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं, साहूकार, पूँजी बाज़ार, विनिर्माता, उत्पादक, ग्राहक, विदेशी वित्तीय संस्थाएं एवं एजेन्सियां, आदि सम्मिलित हैं।

आपने यह देखा कि व्यावसायिक संगठन के प्रकार एवं उसकी प्रकृति पर भी धन एकत्र करने का अवसर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ—व्यावसायिक संगठन के एकल स्वामित्व स्वरूप के वित्तीय स्रोत बहुत ही सीमित होते हैं जिन के द्वारा व्यवसाय के लिए धन का प्रबन्ध किया जा सकता है। ये स्रोत हैं:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| (1) स्वयं की बचत | (2) मित्र एवं सम्बन्धी |
| (3) साहूकार | (4) वाणिज्यिक कम्पनियां |
| (5) वित्तीय कम्पनियां | (6) विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्ता |
| (7) संचित लाभ | |

साझेदारी फर्म के लिये भी यही वित्तीय स्रोत उपलब्ध होते हैं। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप एकल स्वामित्व एवं साझेदारी के लिये दीर्घकालीन पूँजी सामान्य रूप में स्वामियों द्वारा अपनी बचतों और व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों के संचित एक भाग के विनियोग द्वारा की जाती है। अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपर्युक्त स्रोतों में से बचे हुए स्रोतों का उपयोग किया जाता है। किन्तु कम्पनियों की दशा में सामान्यतः वित्त—स्रोत निम्नलिखित होते हैं।

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) पूँजी बाजार | (2) वित्तीय संस्थाएं |
| (3) सार्वजनिक जमा | (4) वाणिज्यिक बैंक |
| (5) पट्टेदारी कम्पनियां (लीजिंग कम्पनियां) | (6) विनियोग न्यास (द्रस्ट) |
| (7) संचित लाभ | |

हम आगामी पाठ में इन के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

15.5 अल्पकालीन वित्त एकत्र करने की विधियाँ

अल्पकालीन वित्त एकत्र करने के लिए अनेक विधियाँ हैं। ये इस प्रकार हैं।

1. व्यापारिक साख (Trade Credit) : वितरकों द्वारा विनिर्माताओं एवं व्यापारियों को कच्चामाल, तैयार माल, पुर्जे, आदि की उधार बिक्री की दी जाने वाली सुविधा ही व्यापारिक साख है। प्रायः व्यावसायिक संगठन तीस दिनों से चालीस दिनों तक के उधार पर माल खरीदते हैं। इसका अर्थ है कि माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर ली जाती है किन्तु धन का भुगतान निश्चित साख की अवधि की समाप्ति के पूर्व नहीं किया जाता है। इस प्रकार का उधार धन को रोकड़ रूप में उपलब्ध नहीं कराता है किन्तु बिना तुरन्त भुगतान के माल क्रय करने में सहायक होता है। यह आपूर्तिकर्ता द्वारा धन प्रदान करने के समान है। यह अल्पकालीन वित्त का लोकप्रिय प्रचलित स्रोत है।

2. बैंक साख (Bank Credit) : प्रायः वाणिज्यिक बैंक व्यापारिक फर्मों को अल्पकालीन वित्त प्रदान करते हैं जिसे बैंक साख कहा जाता है। जब बैंक साख स्वीकृत हो जाए तब उधार लेने वाले को स्वीकृत उधार राशि एक बार में अथवा आवश्यकतानुसार निकालने का अधिकार मिल जाता है। बैंक साख निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक रूप में स्वीकृत की जा सकती है।

(क) ऋण एवं अग्रिम (Loans and Advances) : जब किसी बैंक द्वारा एक निश्चित राशि निश्चित अवधि की समाप्ति पर वापिसी की शर्त पर प्रदान की जाती है तब यह बैंक ऋण कहलाता है। यह ऋण राशि पृथक ऋण खाते में जमा कर दी जाती है। ऋणी को ऋण की समस्त राशि पर निर्धारित ब्याज़ चुकाना होता है बिना इस बात पर विचार किये कि उसने वास्तविक रूप में कितनी राशि निकाली। प्रायः यह ऋण फर्म की सम्पत्तियों की जमानत के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(ख) नकद साख (Cash Credit) : यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत बैंक ऋण लेने वाले को एक निश्चित सीमा तक धनराशि निकालने की अनुमति प्रदान करता है। यह नकद साख सीमा कहलाती है। बैंक द्वारा यह सुविधा माल के स्टाक, वचन पत्रों (प्रामिज़री नोट्स) या अन्य विक्रय योग्य प्रतिभूतियों तथा सरकारी बॉण्ड की ज़मानत पर दी जाती है।





टिप्पणी

इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऋणी स्वीकृत सीमा तक धनराशि निकाल सकता है, जमा करा सकता है एवं निश्चित सीमा अवधि में पुनः निकाल सकता है। इस में वास्तविक निकाली गई ऋण राशि पर ब्याज़ देय होता है न कि ऋण की स्वीकृत समस्त राशि पर।

(ग) बैंक अधिविकर्ष (Bank Overdraft) : जब एक बैंक अपने जमाकर्ता या खाताधारक को उस के चालू जमा खाते में जमा राशि से एक निश्चित सीमा तक अधिक राशि निकालने की सुविधा प्रदान करता है, तब यह बैंक अधिविकर्ष सुविधा कहलाती है। यह सीमा ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण लेने की क्षमता के आधार पर तय की जाती है। इस में ब्याज़ केवल जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि पर देना होता है। बैंक अधिविकर्ष की सुविधा में ब्याज़ की दर नकद साख में वसूल की गई ब्याज़ की तुलना में कम होती है।

(घ) बिलों का बट्टे पर भुनाना (Discounting of Bills) : बैंक विनिमय बिलों को बट्टे पर भुनाकर भी धनराशि देते हैं। जब विनिमय बिल को बैंक के समक्ष भुनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब बैंक अपने ग्राहक के खाते में कुछ कटौती काट कर राशि जमा कर देता है। बैंक द्वारा ली गई कटौती का आधार बिल की अवधि का ब्याज़ होता है। बिल की परिपक्वता पर बैंक देनदार से भुगतान प्राप्त कर लेता है।

नकद साख और बैंक अधिविकर्ष में अंतर

- (i) बैंक द्वारा किसी फर्म को दिए जाने वाले ऋण के लिए नकद साख एक व्यवस्था है। फर्म का बैंक में खाता हो अथवा नहीं। किसी भी खाताधारी को केवल उसकी क्षमता के आधार पर ही बैंक अधिविकर्ष दिया जाता है। यह क्षमता बैंक के साथ ग्रहक की वित्तीय स्थिति और उसके विगत व्यवहार के आधार पर तय की जाती है।
- (ii) नकद साख की स्थिति में ऋण की राशि ऋणकर्ता के अलग खाते में जमा की जाती है। बैंक अधिविकर्ष की सीमा ग्राहक के वर्तमान खाते में जमा राशि से एक निश्चित सीमा तक अधिक राशि निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है।
- (iii) नकद साख के मामले में ऋण की राशि प्रस्तुत प्रतिभूतियों के मूल्य के आधार पर निश्चित की जाती है। लेकिन बैंक अधिविकर्ष की सीमा ग्राहक के खाते में औसत जमा राशि के आधार पर निश्चित की जाती है।
- (iv) अधिविकर्ष बिना प्रतिभूतियों के स्वीकृत किया जाता है। लेकिन नकद साख के लिए मूर्त परिसंपत्तियों का प्रस्तुतिकरण आवश्यक है।



टिप्पणी

- 3. आढ़ती कार्य (Factoring) :** आढ़तीकार्य व्यवसाय के लिए अल्पकालीन वित्त प्राप्त करने की एक विधि है। इस में व्यवसाय अपने देनदारों से प्राप्त की जाने वाली राशि के विरुद्ध बैंक से राशि प्राप्त कर सकता है। इस विधि के द्वारा फर्म निश्चित व्यय देकर देनदारों से प्राप्त होने वाली अदत्त राशि को एकत्रित करने का दायित्व बैंक को स्थानान्तरित कर देता है। यहाँ व्यवसाय भुगतान तिथि की प्रतीक्षा किये बिना बैंक से अग्रिम रूप में धन प्राप्त कर लेता है। इस से देनदारों से राशि एकत्रित करने के प्रयत्नों में भी बचत होती है।
- 4. ग्राहकों से अग्रिम (Customer's Advances) :** कभी—कभी व्यापारी अपने ग्राहकों से अग्रिम राशि के भुगतान की मांग करते हैं। यह मांग उसी दशा में की जाती है जबकि माल का आदेश बड़ा हो या आदेशित माल अधिक मूल्यवान हो। ग्राहक द्वारा जमा अग्रिम धन कुल बेचे गए उत्पाद की कीमत का एक हिस्सा माना जाता है जिसके बाद में किसी निश्चित तिथि पर सुपुर्दगी की जायेगी। ग्राहक प्रायः अग्रिम राशि जमा कराने के लिए सहमत हो जाते हैं। यदि यह वस्तुएँ बाज़ार में आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं या जब किसी वस्तु की तत्काल आवश्यकता हो, तब एक फर्म अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशियों से कर सकती है।
- 5. किश्त-उधार :** यह एक ऐसा ऋण है जो एक विशिष्ट अवधि के दौरान नियमित अन्तरालों पर पुनर्भुगतान, अथवा किश्तों, की शर्तों पर प्रदान किया जाता है। व्यक्तियों द्वारा टिकाऊ वस्तुएँ अधिकांशतः किश्त-उधार के माध्यम से क्रय की जाती हैं जैसे : ओटोमोबाइल्स तथा बड़े घरेलू उपकरण। क्रेता सामान्यतः प्रारंभिक भाग, जिसे डाउन पेमेंट कहते हैं, का भुगतान करके माल को ले लेता है। यदि किसी समय बिन्दु पर क्रेता अपने शेष भाग के भुगतानों में चूक करता है तो पहले भुगतान की सारी राशि का विक्रेता द्वारा जब्त करके माल वापिस ले लिया जाता है।
- 6. असंगठित क्षेत्रों से ऋण (Loans from Unorganised Sectors) :** धन राशि प्राप्त करने की उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त व्यवसायी के पास हमेशा असंगठित क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करने के विकल्प के रूप में साहूकार (स्वदेशी बैंकर), मित्र एवं सम्बन्धी उपलब्ध हैं। व्यवसाय की अल्पकालीन एवं तत्कालीन वित्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन से व्यक्तिगत ज़मानत पर या मूर्त परिस्मितियों की ज़मानत पर और व्यक्तिगत सम्पत्तियों पर धन प्राप्त किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्रों से प्राप्त ऋण पर देय ब्याज़ की दर बहुत ऊँची होती है। इसलिए व्यापारी इस स्रोत से ऋण प्राप्त करने में अधिक रुचि नहीं रखते हैं।
- 7. अन्तर्निंगम जमा :** एक कम्पनी द्वारा लघु अवधि के लिए दूसरी कम्पनी में जमा अन्तर्निंगम जमा कहलाती है। यह एक प्रकार का असुरक्षित ऋण है। इसकी व्यवस्था दलाल द्वारा की जाती है। यह एक प्रकार का लघु अवधि वित्तीयन है। वित्त का स्रोत कानूनी औपचारिकताओं से मुक्त होता है। अन्तर्निंगम जमाओं को छिपाकर रखा जाता



टिप्पणी

है तथा इनका जन साधारण को ज्ञान नहीं कराया जाता है। ब्याज, जमा राशि तथा इसकी अवधि पर निर्भर करता है। इस प्रकार की जमा राशियों के विनिमय के लिए कोई संगठित बाजार नहीं होता है।

अन्तर्निगम जमा के प्रकार

विभिन्न प्रकार के अन्तर्निगम निम्न हैं :

- मांग जमा :** मांग जमा को ऋणदाता एक दिन का नोटिस देकर निकाल सकता है। इस प्रकार के जमा पर ब्याज दर 10 प्रतिशत वार्षिक होती है।
- त्रैमासिक जमा :** यह जमा तीन महीने के लिए होते हैं। इस प्रकार की जमाओं पर ब्याज दर 12 प्रतिशत वार्षिक होती है।
- छमाही जमा :** यह जमा छः महीने के लिए होते हैं। इन पर ब्याज 15 प्रतिशत वार्षिक होता है।

15.6 बैंक साख प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रतिभूतियों के प्रकार

आपने पढ़ा कि बैंक द्वारा ऋण व अग्रिम किसी ज़मानत के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं जिससे बैंक अपनी ऋण राशि की सुरक्षित वापिसी के प्रति निश्चिंत रहता है। यह ज़मानत ऋणी की व्यक्तिगत ज़मानत या कुछ सम्पत्तियों की ज़मानत हो सकती है। अतः बैंक साख के लिए दी जाने वाली ज़मानत दो प्रकार की हो सकती है।

(1) व्यक्तिगत ज़मानत

(2) सम्पत्ति की ज़मानत

व्यक्तिगत ज़मानत का अर्थ ऋणी की व्यक्तिगत साख की ज़मानत से है। बैंक ऋणी की साख क्षमता का निर्णय उस की वित्तीय स्थिति एवं बैंक से पूर्व में किए लेन-देनों के आधार पर करता है। तत्पश्चात ऋण राशि स्वीकृत की जाती है। जब बैंक सम्पत्तियों की ज़मानत मांगता है तब अल्पकालीन वित्त के लिए निम्नलिखित को प्रायः ज़मानत के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।

- गतिशील (चल) माल (Movable Goods) :** कच्चे माल एवं तैयार माल के स्टाक बैंक द्वारा नकद साख की ज़मानत के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। ऋण का भुगतान न किए जाने की स्थिति में बैंक ऋण की वसूली माल बेच कर कर लेता है।
- अंश (Shares) :** ऐसे अंश, जिन का मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में मूल्य प्रदर्शित होता है, बैंक साख के लिए ज़मानत के रूप में स्वीकार्य होते हैं। ऋणी को अपने समस्त अंशों को बैंक को सौंप देना होता है।
- माल के स्वत्वाधिकार दस्तावेज़ (Documents of Title to Goods) :** जहाज़ी बिल्टी, रेल बिल्टी, माल की रसीद, भण्डारगृह अधिपत्र (वारंट) विभिन्न दस्तावेज़ हैं जो माल

पर स्वत्वाधिकार के रूप में मान्य होते हैं। ऋण लेने वाला ऋण प्राप्त करने के लिए इन में से कोई भी दस्तावेज़ उचित प्रकार से बैंक के पक्ष में बेचान कर बैंक के पास जमा कर सकता है। यह बैंक को समय पर ऋण न चुकाने की स्थिति में माल के क्रय-विक्रय का अधिकार प्रदान करता है।

- (iv) **स्थायी जमा की रसीद (Fixed Deposit Receipts) :** यह रसीद ग्राहक को उसके द्वारा की गई स्थायी जमा राशि के साक्ष्य रूप में बैंक द्वारा निर्गमित की जाती है। बैंक इस रसीद की ज़मानत पर ऋण स्वीकृत करता है। समान्यतः बैंक इस रसीद की कीमत के 90 प्रतिशत तक ऋण स्वीकृत करता है।
- (v) **जीवन बीमा पालिसी (Life Insurance Policy) :** बैंक जीवन बीमा पालिसी पर ऋण पालिसी के समर्पण मूल्य (Surrender Value) तक प्रदान करता है।
- (vi) **आभूषण या बहुमूल्य धातुएं (Jewellery or Precious Metals) :** निजी या व्यावसायिक उद्देश्य हेतु ली जाने वाली ऋण राशि के लिए इस प्रकार की ज़मानत प्रस्तुत की जाती है। एकल स्वामित्व फर्मो द्वारा कभी-कभी आभूषण या अन्य बहुमूल्य धातुओं को ऋण प्राप्त करने के लिए ज़मानत के रूप में दे दिया जाता है।
- (vii) **अन्य प्रतिभूतियाँ (Other Securities) :** उपर्युक्त वर्णित सम्पत्तियों एवं दस्तावेजों के अतिरिक्त राष्ट्रीय बचत पत्र (N.S.C.), किसान विकास पत्र (K.V.P.), सरकारी बॉण्ड को भी बैंक अल्पकालीन ऋण के लिए स्वीकार करता है।



पाठगत प्रश्न 15.2

1. बैंक साख प्राप्त करने के लिए ज़मानत के रूप में दी जाने वाली सम्पत्तियों के निम्नलिखित प्रकारों के विशिष्ट उदाहरण दीजिए।
 - (क) माल के स्वत्वाधिकार के दस्तावेज़
 - (ख) गतिशील (चल) माल
 - (ग) आभूषण एवं बहुमूल्य धातुएं
2. बैंक साख के किस प्रकार का संदर्भ यहाँ दिया गया है—
 - (क) खाताधारक को बैंक में रखे गये अपने चालू खाते में प्रदर्शित जमा शेष से अधिक राशि निकालने की अनुमति होती है।
 - (ख) बैंक दस्तावेज़ की ज़मानत पर कुछ कटौती काटने के पश्चात अग्रिम राशि देता है।
 - (ग) ब्याज़ वास्तविक निकाली गई राशि पर लिया जाता है न कि कुल स्वीकृत राशि पर।



टिप्पणी



टिप्पणी

- (घ) बैंक द्वारा एक पृथक खाते में राशि जमा की जाती है एवं ऋणी द्वारा इस समस्त राशि पर ब्याज़ दिया जाता है बिना इस बात पर विचार किये कि वास्तव में कितनी राशि निकाली।
3. एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी में छोटी अवधि के लिए जमा का नाम बताइए :
- | | |
|----------------------|----------------------|
| (अ) निश्चित अवधि जमा | (ब) अन्तर्र्निगम जमा |
| (स) स्वामिगत जमा | (द) ऋणगत जमा |

15.7 लघु व्यवसाय

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 ने उद्यमों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है :

1. विनिर्माण उद्यम

- क) **सूक्ष्म उद्यम** : ऐसी इकाई जिसमें पूँजी निवेश 25 लाख रुपए तक है।
- ख) **लघु उद्यम** : एक ऐसी इकाई जिसमें निवेश 25 लाख रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक है।
- ग) **मध्यम उद्यम** : इकाई जिसमें निवेश 5 करोड़ रुपए से ऊपर लेकिन 10 करोड़ रुपए तक है।

2. सेवा उद्यम

- क) **सूक्ष्म उद्यम** : इकाई जिसमें निवेश 10 लाख रुपए तक है।
- ख) **लघु उद्यम** : एक इकाई जिसमें निवेश 10 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपए तक है।
- ग) **मध्यम उद्यम** : एक इकाई जिसमें निवेश 2 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है।

15.7.1 भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका

लघु पैमाने के उद्योग आकार में छोटे हैं, लेकिन भारत की कुल औद्योगिक इकाई का 95 प्रतिशत है। भारत के कुल निर्यात में इनका 45 प्रतिशत का योदान है। यह निम्न रूपों में सहायक हैं :

1. **रोजगार** : एक लघु पैमाने के उद्योग श्रमजनिक होते हैं। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।



टिप्पणी

- 2. विभिन्न प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति :** लघु पैमाने के उद्योग विभिन्न प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, जैसे कि बड़ी संख्या में उपभोग वस्तुएं, तैयार वस्त्र, स्टेशनरी की मर्दें, डिटरजेंट्स, चमड़ा, प्लास्टिक एवं रबड़ के उत्पाद, प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ व सब्जियाँ, लकड़ी व स्टील का फर्नीचर, सुरक्षा उपकरण आदि। कुछ अत्याधुनिक वस्तुएं जैसे : बिजली उपकरण व इलैक्ट्रानिक उपकरण (टी.वी. कैल्क्यूलेटर) कृषि के उपयोग में आने वाले उपकरण तथा हथकरघा एवं हस्तकला उत्पादों का लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जाता है।
- 3. संतुलित क्षेत्रीय विकास :** लघु औद्योगिक इकाइयाँ सरल तकनीक का प्रयोग करती हैं तथा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों (माल, भ्रम आदि) पर निर्भर करती हैं। इसलिए ये देश में कहीं भी इकाइयाँ स्थापित करने में समर्थ हैं।
- 4. उद्यमिता के अवसर :** लघु औद्योगिक इकाइयाँ उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करती हैं। क्योंकि यह इकाइयाँ छोटी पूँजी से प्रारम्भ की जा सकती हैं, इसलिए प्रतिभावान एवं कौशल प्राप्त लोगों की अपनी स्वयं की इकाइयाँ हो सकती हैं।
- 5. कम लागत पर उत्पादन :** लघु औद्योगिक इकाइयाँ स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं जो कि कम खर्चोंले होते हैं। इसलिए छोटे उद्योगों की स्थापना एवं संचालन लागत कम होती है।
- 6. व्यवसाय के नए अवसर प्राप्त करना :** संगठन के लघु पैमाने के कारण लघु औद्योगिक इकाइयाँ शीघ्र निर्णय ले सकती हैं। इससे यह व्यवसाय के नए अवसरों को प्राप्त कर सकती हैं।
- 7. आवश्यकतानुसार उत्पादन :** लघु औद्योगिक इकाइयाँ ग्राहकों की आवश्यकतानुसार उत्पादों का निर्माण करती हैं। यह उपभोक्ताओं द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों का निर्माण करती है।

15.7.2 ग्रामीण भारत में लघु व्यवसायों की भूमिका

पूर्व में ग्रामीण लोग केवल कृषि में लगे होते थे। लघु औद्योगिक इकाइयों के गठन के साथ अनेक ग्रामीण लोगों ने कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को स्थापित करना प्रारम्भ किया।

पारम्परिक शिल्पकार एवं कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों में लगे लोगों को लघु औद्योगिक इकाइयों के कारण रोजगार के अच्छे अवसर हैं। इससे ग्रामीण लोगों का नौकरी की तलाश में शहरों की ओर पलायन रुका है।

लघु औद्योगिक इकाइयों में श्रम आधारित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसने गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सहायता दी है।

इसके साथ-साथ लघु औद्योगिक इकाइयों ने ग्रामीण क्षमता को अधिकतम उपयोग में सहायता प्रदान की है। इस प्रकार से देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता मिली है।



टिप्पणी

15.8 दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने की विधियां

आप ने यह ज्ञात कर लिया है कि व्यवसाय को किन उद्देश्यों के लिए दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। छोटे संगठनों में दीर्घकालीन वित्त प्रायः उन के स्वामियों द्वारा दिये जाते हैं किन्तु बड़े व्यावसायिक संगठनों तथा संयुक्त पूँजी कम्पनियों के लिए धन प्राप्त करने के अनेक विकल्प होते हैं। दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने में निम्न विधियों का समान्यता: प्रयोग किया जाता है।

- (i) अंशों का निर्गमन (Issue of shares)
- (ii) ऋणपत्रों का निर्गमन (Issue of Debentures)
- (iii) वित्तीय संस्थाओं से ऋण (Loans from Financial Institutions)
- (iv) सार्वजनिक जमा (Public Deposits)
- (v) लाभों का संचय (Retention of Profit)
- (vi) पट्टे पर वित्तीयन (Lease Financing)
- (vii) विदेशी निवेश (Foreign Investment)

अब हम इनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे।

15.8.1 अंशों का निर्गमन (Issue of Shares)

अंश वह सबसे छोटी इकाई है जिसमें कम्पनी की कुल पूँजी विभाजित होती है। उदाहरणार्थ, जब एक कम्पनी अंशों के निर्गमन से पचास करोड़ रु० की पूँजी एकत्रित करना निश्चित करती है तब इस पूँजी को वह निश्चित मूल्य की इकाइयों में विभाजित कर सकती है जैसे दस रुपये या सौ रुपये प्रति इकाई। प्रत्येक इकाई अंश कहलाती है। प्रत्येक अंश का मूल्य और निर्गमित किए जाने की संख्या निश्चित करने के पश्चात कम्पनी इन अंशों को क्रय करने हेतु जनता को आमंत्रित करती है। विनियोजनकर्ता अपनी क्षमतानुसार अंशों का क्रय करते हैं। वे विनियोजक जिन्होंने अंशों को खरीदा है या अंशों में धन निवेश किया है, अंशधारक कहलाते हैं। उन्हें अपने निवेश पर प्रतिफल के रूप में लाभांश प्राप्त होता है।

आप जानते हैं कि निवेशकों की आदतें एवं स्वभाव भिन्न-भिन्न होते हैं। कुछ निवेशक कम जोखिम उठाना चाहते हैं तथा नियमित आय में रुचि रखते हैं जबकि कुछ अन्य भविष्य में भारी लाभों की संभावनाओं के आधार पर अधिक जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों की बचतों को प्राप्त करने के लिए एक कंपनी दो प्रकार के अंशों, यथा (i) समता अंशों, एवं (ii) पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है।

(i) समता अंश (Equity Shares)

समता अंश वे अंश होते हैं जिनको लाभांश के भुगतान अथवा पूँजी के पुनः भुगतान के सम्बन्ध में कोई पूर्वाधिकार (Preferential Right) प्राप्त नहीं होता है। समता अंशधारकों को पूर्वाधिकार वाले अंशधारकों को लाभांश भुगतान करने के उपरान्त लाभांश प्राप्त होता है। समता अंशधारकों के लिए लाभांश की कोई निश्चित दर नहीं होती है। लाभांश की दर अतिरिक्त लाभ पर निर्भर करती है।

अधिक लाभ होने की दशा में कम्पनी समता अंशधारकों को ऊंची दर से लाभांश का भुगतान करती है। कम्पनी के समापन की दशा में समता अंश पूँजी का भुगतान दूसरे लोगों के दावों के भुगतान के उपरान्त किया जाता है। वास्तव में वे कम्पनी के स्वामी होते हैं जो प्राप्त मताधिकार द्वारा अपने निश्चित अधिकार का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के अंशों के निर्गमन से प्राप्त धन को समता अंश पूँजी कहते हैं। इसे स्वामित्व पूँजी या स्वामित्व कोष भी कहते हैं।

समता अंशों के गुण

अंशधारकों की दृष्टि से

- समता अंशधारक कम्पनी के स्वामी होते हैं।
- ये अंश उन लोगों के लिए उचित हैं जो जोखिम उठा कर अधिक लाभ चाहते हैं।
- प्रतिष्ठानों में लाभों में वृद्धि के साथ शेयर बाजार में समता अंशों के मूल्य में वृद्धि होती है।
शेयर बाजार में समता अंशों को आसानी से बेचा जा सकता है।
- अंशों के सामान्य मूल्य तक समता अंशधारकों का दायित्व सीमित होता है।
- समता अंशधारकों की कम्पनी के प्रबन्ध में भागीदारी होती है क्योंकि उनको मताधिकार प्राप्त होते हैं।

प्रबन्धकों की दृष्टि से

- एक कम्पनी अपनी स्थायी सम्पत्तियों पर प्रभार डाले बिना समता अंशों को निर्गमित कर पूँजी एकत्र कर सकती है।
- समता अंशों के निर्गमन द्वारा एकत्र पूँजी की अदायगी कम्पनी को अपने जीवन काल में करने की आवश्कता नहीं होती है। कम्पनी के समापन की दशा में इसकी अदायगी होगी।
- कंपनी समता अंशों पर लाभांश देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि कंपनी को काफी लाभ हुआ है तो कंपनी लाभांश देने की घोषणा कर सकती है।



टिप्पणी



टिप्पणी

- यदि कम्पनी समता अंशों के निर्गमन से पूँजी में वृद्धि कर लेती है तब इससे लेनदारों में अधिक विश्वास जागृत होता है।

समता अंशों की सीमाएं

अंशधारकों की दृष्टि से

- समता अंशधारकों को लाभांश तभी प्राप्त होता है जब कम्पनी पर्याप्त लाभ अर्जित करती है। लाभांश घोषित करने का निर्णय कम्पनी के संचालक मंडल के पास होता है। समता अंशों में बहुत अधिक सट्टेबाज़ी होती है। ऐसा विशेष रूप में तेज़ी के अवसर पर होता है जब कम्पनी बहुत अधिक लाभार्जन कर रही होती है। समता अंशधारकों को अत्यधिक जोखिम उठाना पड़ता है। हानि होने की दशा में उन्हें लाभांश की प्राप्ति नहीं होती है। उनके निवेशित धन की वापिसी सबसे अन्त में की जाती है। वास्तव में समता अंश कम्पनी के साथ ही तैरते एवं ढूबते हैं।

प्रबन्धकों की दृष्टि से

- समता अंशों के निर्गमन से पूँजी प्राप्त करने में ऋण लेने की तुलना में अधिक लागत आती है। चूंकि समता अंशधारकों के पास मताधिकार होता है अतः मतों को हड़पने तथा कम्पनी नियंत्रण को हथियाने के लिए समूह निर्मित किए जाते हैं। इससे हितों का टकराव उत्पन्न हो जाता है जो कम्पनी के सुचारु संचालन में हानिकारक होता है।

(ii) पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares)

पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनको लाभांश एवं पूँजी की वापसी के सम्बन्ध में अधिमान अधिकार प्राप्त होते हैं। समता अंशों के लाभांश भुगतान से पूर्व पूर्वाधिकार अंशों पर निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करना होता है। लेकिन यह लाभांश लाभ होने की दशा में ही देय होता है। इसी प्रकार समापन की दशा में पूर्वाधिकार अंश धारकों को अपनी पूँजी, समता अंश धारकों को कुछ भी भुगतान देने के पूर्व, वापिस पाने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंश धारकों के पास कोई भी मताधिकार नहीं होता है इसीलिये वह कम्पनी के प्रबन्ध में भाग नहीं ले सकते। पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमित करना कम्पनी के लिये अनिवार्य नहीं है।

पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार

कम्पनी के पास विभिन्न प्रकार के पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन का विकल्प होता है। अब हम उन पूर्वाधिकार अंशों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे जिनका एक कम्पनी निर्गमन कर सकती है।

- (i) परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश :** वे पूर्वाधिकार अंश जिनको निर्दिष्ट समय अवधि के पश्चात् समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। अन्यथा, इन्हें अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं।

- (ii) **संचयी तथा असंचयी पूर्वाधिकार अंश :** संचयी पूर्वाधिकार अंशों का अदत्त लाभांश संचित कर अगले वर्षों में भुगतान के लिये ले जाया जाता है। जब कि असंचयी पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश को वर्तमान वर्ष के लाभों में से भुगतान न दिये जाने की स्थिति में संचित नहीं किया जाता है।
- (iii) **भागीदार और गैर-भागीदार पूर्वाधिकार अंश :** भागीदार पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों को लाभांश भुगतान करने के पश्चात् शेष लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। गैर-भागीदार पूर्वाधिकार अंशों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है।
- (iv) **शोधनीय एवं अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश :** ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनकी भुगतान के लिए परिपक्वता की तिथि निश्चित होती है, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। यहां कम्पनी पूर्वाधिकार अंशधारकों को एक निश्चित समय की समाप्ति के उपरांत धन-राशि वापिस करने का वचन देती है। जिन पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान कम्पनी के समापन समय पर ही होगा, उनको अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं।


समता अंशों एवं पूर्वाधिकार अंशों के बीच अन्तर

समता अंशों एवं पूर्वाधिकार अंशों के अर्थ एवं विशेषताओं के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि इन दोनों के मध्य कौन-से अन्तर हैं।

अन्तर का आधार	समता अंश	पूर्वाधिकार अंश
(i) चयन	इन अंशों को निर्गमित करना अनिवार्य है।	इन अंशों को निर्गमित करना अनिवार्य नहीं है।
(ii) लाभांश का भुगतान	इन अंशों पर लाभांश का भुगतान केवल पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश के भुगतान के उपरांत ही किया जाता है।	इन अंशों पर लाभांश का भुगतान समता अंशों से पूर्व किया जाता है।
(iii) पूँजी की वापसी	कम्पनी के समापन की दशा में समता अंश पूँजी की वापसी पूर्वाधिकार अंश पूँजी की वापसी के उपरांत ही की जाती है।	कम्पनी के समापन की दशा में इस पूँजी की वापसी समता अंशों से पूर्व की जाती है।
(iv) मताधिकार	समता अंशधारकों को मताधिकार होता है।	पूर्वाधिकार अंशधारकों को मताधिकार नहीं होता है।
(v) लाभांश संचय	समता अंशों का लाभांश संचित नहीं किया जाता है। अतः आगे नहीं ले जाया जा सकता है।	अदत्त लाभांश का संचय होता है एवं संचयी पूर्वाधिकार अंशों की दशा में यह अगले वर्षों में ले जाया जाता है।



टिप्पणी



टिप्पणी

यहां ध्यान रखने योग्य है कि कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम में वर्णित अंशों के निर्गमन से सम्बन्धित कार्यवाही एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा ज़ारी नीतियों का अनुसरण करना होता है।

आपने समता अंशों एवं पूर्वाधिकार अंशों के बारे में पढ़ा है। अब हम ऋणपत्रों के बारे में पढ़ेंगे।

15.8.2 ऋणपत्रों का निर्गमन

ऋणपत्रों के निर्गमन से कम्पनियां दीर्घकालीन वित्त प्राप्त कर सकती हैं। इनसे निवेशकों को ऋणपत्रों पर देय निश्चित ब्याज दर के रूप में एक निश्चित आय प्राप्त होती है। इसे कंपनी की ऋण पूँजी या उधार पूँजी भी कहते हैं। ऋणपत्र उधार ली गई राशि की लिखित पावती है। इसमें नियम एवं शर्तें जैसे ब्याज दर, भुगतान वापसी का समय एवं दी गई ज़मानत विशेष रूप में लिखी हुई होती है। इन्हें जनता के समक्ष अभिदान के लिए उसी प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि अंशों को।

ऋणपत्र धारक कम्पनी के ऋणदाता होते हैं। एवं निश्चित ब्याज प्राप्त करने के लिये अधिकारी हैं, चाहे कम्पनी को लाभ हुआ है अथवा नहीं। इनको कोई मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः यह व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सामान्यतया ऋण पत्र पूर्ण सुरक्षित होते हैं। कम्पनी यदि ऋणपत्रों पर ब्याज देने या मूलधन को वापिस करने में असफल रहती है तब ऋणपत्र धारक कम्पनी की सम्पत्तियां बेच कर इन्हें वसूल कर सकते हैं।

ऋणपत्रों के लाभ

- (1) ऋणपत्र सुरक्षित ऋण हैं। कम्पनी का समापन होने पर समता एवं पूर्वाधिकार अंश धारकों को कोई भी भुगतान करने से पूर्व इनका भुगतान किया जाता है।
- (2) लाभ न होने पर भी ऋणपत्रधारकों को निश्चित दर से आय प्राप्त होती है।
- (3) जब कम्पनी को अधिक लाभ होते हैं ऋणपत्रों का निर्गमन कम्पनी को उसके समता अंश धारकों को ऊँची दर से लाभ प्रदान करने की सामर्थ्य प्रदान करता है।
- (4) ऋणपत्रधारकों को न तो मत देने का और न ही कम्पनी के प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार होता है। इसीलिये ऋणपत्रों द्वारा कम्पनी प्रबंध नियंत्रण को प्रभावित किए बिना अतिरिक्त पूँजी प्राप्त करती है।
- (5) ऋणपत्रों पर दिये गये ब्याज को व्यय के रूप में माना जाता है। यह कम्पनी के लाभों पर प्रभार होता है। इस प्रकार से कम्पनी आयकर बचा लेती है।

ऋणपत्रों की सीमाएं

- (1) यदि कम्पनी की आय अनिश्चित है एवं जिसका पूर्वानुमान संभव नहीं है, ऋणपत्रों का निर्गमन, उन पर देय ब्याज एवं मूलधन की वापसी का निश्चित दायित्व कम्पनी के समक्ष गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए जब कम्पनी अच्छी एवं स्थिर आय की आशा करती हो, तभी ऋणपत्रों को निर्गमित करना चाहिए।
- (2) जो कम्पनी ऋणपत्र निर्गमित करती है ऋणपत्रधारकों के पक्ष में अपनी सम्पत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करती है। इसीलिये जिस कम्पनी के पास पर्याप्त स्थायी सम्पत्तियां नहीं होती हैं ऋणपत्रों को निर्गमित कर धन उधार नहीं ले सकती हैं।
- (3) कम्पनी की सम्पत्तियों को गिरवी रख देने पर उनका उपयोग और अधिक ऋण लेने के लिये नहीं किया जा सकता है। इसीलिये ऋणपत्रों का निर्गमन कम्पनी की उधार क्षमता को कम कर देता है।



टिप्पणी

समता पर व्यापार (Trading on Equity)

समता पर व्यापार का सम्बन्ध अधिक ऋण प्रयोग द्वारा समता अंशधारकों को अधिक आय के प्रति सुनिश्चित करना है। यह तब ही व्यावहारिक है जब लाभार्जनशक्ति बहुत अधिक हो एवं निवेश की गई राशि पर आय की दर उधार राशि पर दी जाने वाली ब्याज दर से अपेक्षाकृत अधिक हो। हम एक उदाहरण लेते हैं— मानलीजिए एक परियोजना पर पांच करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है जिससे 20% प्रतिशत आय प्रति वर्ष प्राप्त हो सकती है। यदि प्रबन्ध 2.5 करोड़ रुपये प्रति दस रुपये मूल्य के समता अंशों के निर्गमन द्वारा एवं 2.5 करोड़ रुपये 10% ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करने का निश्चय करती है, तब अंश धारकों को उनकी पूँजी पर 30% की आय प्राप्त होगी।

कुल उपार्जित राशि	1,00,00,000 रु.
-------------------	-----------------

ऋणपत्रों पर ब्याज 10% की दर से	25,00,000 रु.
--------------------------------	---------------

ब्याज देने के पश्चात् उपार्जित राशि	75,00,000 रु.
-------------------------------------	---------------

$$\text{समता अंश पूँजी पर आय} \quad \frac{75,00,000}{2,50,00,000} \times 100 = 30\%$$

अब यदि कम्पनी 80% ऋण द्वारा एवं मात्र 20% अंशों द्वारा (रु 4 करोड़ 10% ऋणपत्रों द्वारा और 1 करोड़ अंशों द्वारा) प्राप्त करने का निश्चय करती है, तब समता अंश पूँजी पर आय की गणना निम्नलिखित प्रकार से होगी।

कुल उपार्जित राशि	1,00,00,000 रु.
-------------------	-----------------

ऋणपत्रों पर ब्याज @10% की दर से	40,00,000 रु.
---------------------------------	---------------



टिप्पणी

ब्याज देने के पश्चात् उपार्जित आय	60,00,000 रु.
-----------------------------------	---------------

$$\text{समता अंश पूँजी पर आय} \quad \frac{60,00,000}{1,00,00,000} \times 100 = 60\%$$

हम देख सकते हैं कि ऋण के बहुत अधिक अनुपात में प्रयोग से समता अंश पूँजी पर आय की दर सीधी दोगुनी हो गई। इसके साथ साथ बहुत बड़ा जोखिम भी इससे जुड़ा हुआ है। यदि लाभार्जन शाक्ति 10% की दर से कम हो जाये तब हमको ऋणपत्रों पर 10% की दर से ब्याज देना ही होगा। इससे समता अंश पूँजी पर आय घटकर 10% की दर से भी कम हो जाएगी।

ऋणपत्रों के प्रकार

ऋणपत्रों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- (i) **शोधनीय एवं अशोधनीय ऋणपत्र :** ऋणपत्र जिनकी धन वापसी एक निश्चित तिथि को होती है, शोधनीय ऋणपत्र कहलाते हैं। दूसरी ओर अशोधनीय ऋणपत्रों की दशा में कोई निश्चित समय नहीं है जिस पर धन वापसी के लिए कम्पनी बाध्य हो। ऐसे ऋणपत्र धारक धन वापसी की मांग नहीं कर सकते जब तक कि कम्पनी ब्याज के भुगतान में कोई छूक नहीं करती है। इसलिये इन ऋणपत्रों को स्थायी ऋणपत्र (Perpetual Debenture) भी कहते हैं।
- (ii) **परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय ऋणपत्र :** परिवर्तनीय ऋणपत्रधारकों को अपने ऋणपत्रों के समता अंशों में परिवर्तित करने का विकल्प दिया जाता है। लेकिन अपरिवर्तनीय ऋणपत्र धारकों को कम्पनी द्वारा ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है।
- (iii) **सुरक्षित और असुरक्षित ऋणपत्र :** सुरक्षित ऋणपत्रों को कम्पनी ज़मानत के रूप में अपनी सम्पत्तियों पर प्रभार के साथ निर्गमित करती है। यह प्रभार निश्चित सम्पत्तियों पर स्थायी हो सकता है या यह चल (floating) हो सकता है। सुरक्षित ऋणपत्र बंधक (mortgaged) ऋणपत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरी ओर असुरक्षित ऋणपत्र ज़मानत स्वरूप सम्पत्तियों पर बिना प्रभार के केवल भुगतान वापसी के वायदे पर निर्गमित किए जाते हैं। इसलिए ऐसे ऋणपत्रों को असुरक्षित या साधारण ऋणपत्र भी कहते हैं। वर्तमान में स्थायी तौर पर सुरक्षित ऋणपत्र ही निर्गमित किए जाते हैं।
- (iv) **पंजीकृत एवं वाहक ऋणपत्र :** पंजीकृत ऋणपत्रों के लिए निर्गमित करने वाली कम्पनी ऐसे ऋणपत्र धारकों का रिकार्ड रखती है। इस प्रकार के ऋणपत्रों की कोई भी बिक्री या हस्तांतरण कम्पनी में पंजीकृत होना चाहिये। दूसरी ओर वाहक ऋणपत्र एक तरह से विनिमय साध्य प्रलेख हैं और सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरणीय हैं। कम्पनी इस प्रकार के ऋणपत्र धारकों का कोई रिकार्ड नहीं रखती है। ब्याज कूपन इनके साथ संलग्न होते हैं एवं कोई भी व्यक्ति ब्याज प्राप्ति के लिए कूपन प्रस्तुत कर सकता है।

अंशों एवं ऋणपत्रों की कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद, अब हम इनके मध्य अन्तर ज्ञात करेंगे।

अंशों एवं ऋणपत्रों के मध्य अन्तर

आधार	अंश	ऋणपत्र
1. स्थिति	अंशधारी कम्पनी के स्वामी होते हैं। वे स्वामित्व पूँजी उपलब्ध कराते हैं जो वापिस देय नहीं होती सिवाय कम्पनी के समापन पर।	ऋणपत्र धारक कम्पनी के ऋणदाता होते हैं। सामान्यतया वे एक निश्चित अवधि के लिये ऋण उपलब्ध कराते हैं जिनका वापस भुगतान करना पड़ता है।
2. निवेश पर आय की प्रकृति	अंशधारकों को लाभांश मिलता है। इसकी राशि निश्चित नहीं होती क्योंकि यह कम्पनी के लाभों पर निर्भर करती है।	ऋणपत्रों पर निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। यदि कम्पनी घाटे में चल रही है तब भी ब्याज देय होता है।
3. अधिकार	अंशधारक कम्पनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। उन्हें मतदान करने और कम्पनी की नीतियां निर्धारित करने का अधिकार होता है।	ऋणपत्र धारकों को कम्पनी की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। अतः कम्पनी के प्रबन्ध में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
4. जमानत	अंशों को निर्गमित करने पर जमानत की आवश्यकता नहीं होती है।	सामान्यतया ऋणपत्र सुरक्षित होते हैं। इसलिये जब भी ऋणपत्र निर्गमित किए जाने होते हैं तब पर्याप्त स्थायी सम्पत्तियों का होना आवश्यक होता है।
5. पुनर्भुगतान का क्रम	ऋणपत्र धारकों एवं लेनदारों को भुगतान करने के बाद ही अंश पूँजी को वापिस किया जाता है।	अंशधारकों की तुलना में ऋणपत्र धारकों को पुनर्भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है।
6. जोखिम	आय में अनिश्चितता के कारण जोखिम अधिक होता है।	आय में निश्चितता के कारण जोखिम बहुत कम होता है।



पाठगत प्रश्न 15.3

- निम्नलिखित चार्ट, जो समता अंशों एवं पूर्वाधिकार अंशों में तुलना करता है, को पूरा कीजिए।



मॉड्यूल-6

व्यावसायिक वित्त



टिप्पणी

व्यवसाय का वित्तीयन

अन्तर का आधार	समता अंश	पूर्वाधिकार अंश
(1) अंशों पर लाभांश का भुगतान	पूर्वाधिकार अंशों पर भुगतान करने के पश्चात लाभांश का भुगतान किया जाता है।	(क)
(2) कम्पनी के समापन पर पूँजी की वापसी	(ख)	पूँजी की वापसी समता अंशों से पूर्व की जाती है।
(3) मतदान का अधिकार	(ग)	मतदान का अधिकार नहीं होता है।
(4) लाभांशों का संचय	लाभांशों का संचय नहीं किया जाता अतः अगले वर्षों में नहीं ले जाया जा सकता है	(घ)

- दीर्घकालीन पूँजी प्राप्त करने की विधियों के कुछ लक्षण नीचे दिए गए हैं, उन लक्षणों को पहचानिए जो समता अंशों, पूर्वाधिकार अंशों एवं ऋणपत्रों से सम्बन्धित हैं।
 - कम्पनी के समापन की दशा में पूँजी की वापसी, ऋणपत्रों के भुगतान के बाद किन्तु समता अंशधारकों की पूँजी के वापस करने के पूर्व की जाती है।
 - इनके धारक निश्चित अवधि के लिए कम्पनी के लेनदार होते हैं।
 - इनके धारक कम्पनी के स्वामी होते हैं एवं इनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है।
 - हानि की दशा में अत्यधिक जोखिम वहन करते हैं, लाभांश भी प्राप्त नहीं होता है और कम्पनी के समापन की दशा में इनकी निवेशित राशि सबसे अन्त में वापिस मिलती है।
 - इनके धारकों का कम्पनी के प्रबन्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तथा कम्पनी की मीटिंग में उन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं होता।
- नीचे लिखे गए आधारों पर अंशों एवं ऋणपत्रों में अन्तर लिखिए—

आधार	अंश	ऋणपत्र
(i) स्थिति		
(ii) अधिकार		
(iii) प्रतिभूति		
(iv) जोखिम		

4. बहुविकल्पीय प्रश्न

- (क) उस विनिर्माण उद्योग का नाम बताइए, जिसमें 50 लाख रुपए का निवेश किया गया है :
- अ) सूक्ष्म उद्यम
 - ब) लघु उद्यम
 - स) नन्हीं इकाइयाँ
 - द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (ख) उस सेवा उद्योग की पहचान कीजिए, जिसमें 20 लाख रुपए निवेशित हैं:
- अ) सूक्ष्म उद्यम
 - ब) लघु उद्यम
 - स) नन्हीं इकाइयाँ
 - द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (ग) सेवा उद्यम, जिसमें 3 करोड़ रुपए निवेशित है, को कहते हैं:
- अ) सूक्ष्म उद्यम
 - ब) लघु उद्यम
 - स) नन्हीं इकाइयाँ
 - द) उपरोक्त में से कोई नहीं



टिप्पणी

15.8.3 वित्तीय संस्थाओं से ऋण

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतवर्ष में औद्योगिक उद्यमों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से बड़ी सख्त्या में वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, राज्य वित्तीय निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम जैसी संस्थाओं की स्थापना नये उद्यमों को स्थापित करने एवं वर्तमान उद्यमों के विस्तार तथा नवीनीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई।

ये वित्तीय संस्थाएं 25 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए ऋण स्वीकृत करती हैं। ये ऋण कम्पनियों की सम्पत्ति को बंधक रख कर या अंशों, स्टाक, आदि को गिरवी रख कर सुरक्षित होते हैं। इस प्रकार के ऋण लेने से मुख्य रूप से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं—

- (i) इन ऋणों पर देय ब्याज दर बाज़ार दर की अपेक्षा कम होती है एवं
- (ii) ऋण राशि बड़ी होती है।

किन्तु इनसे ऋण लेने में अनेक कानूनी और तकनीकी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं एवं समय भी अधिक लगता है। वित्तीय संस्थाएं अक्सर एक या दो संचालक नामांकित कर कम्पनी की कार्य पद्धति एवं कोषों के उपयोग पर कुछ सीमा तक नियंत्रण रखती हैं।

15.8.4 वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेना

पारम्परिक रूप से भारत में वाणिज्यिक बैंक दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान नहीं करते थे। वे केवल अल्प अवधि के लिये ही ऋण जो एक वर्ष तक सीमित होता है स्वीकृत करते थे। लेकिन कुछ समय से इन्होंने 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देना शुरू किया है।



टिप्पणी

सामान्य रूप से ये बैंक एक या दो वर्षों के लिए आवधिक ऋण देते हैं। यह ऋण अवधि अन्तरालों में बढ़ा दी जाती है। कुछ दशाओं में ऋण सीधे 3 वर्षों तक भी स्वीकृत किए जाते हैं। वाणिज्यिक बैंक प्राथमिक क्षेत्रों के लघु पैमाने की इकाईयों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं।

लाभ

बैंकों से दीर्घकालीन ऋण लेने के निम्नलिखित लाभ होते हैं:

1. यह वित्त का लचीला स्रोत है क्योंकि व्यापार की आवश्यकता पर ऋण राशि बढ़ाई जा सकती है और जब कोषों की आवश्यकता नहीं होती तब उन्हें वापिस किया जा सकता है।
2. बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय क्रियाओं को गुप्त रखते हैं।
3. अंश, ऋणपत्र आदि के निर्गमन की तुलना में बैंक ऋण में निहित समय कम लगता है व लागत कम आती है।
4. बैंक, ऋणी-फर्म के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
5. ऋणों को आसान किश्तों में वापस किया जा सकता है।
6. छोटे पैमाने के उद्योग, ग्रामीण उद्योग, पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों के मामले में ली जाने वाली ब्याज की दर बहुत कम होती है।

दोष (हानियां)

बैंकों से दीर्घकालीन ऋण लेने की निम्नलिखित हानियां होती हैं:

1. बैंक, ऋण को स्वीकृत करते समय सम्पत्तियों को बन्धक रखते हैं या व्यक्तिगत गारन्टी लेते हैं। इसलिए इन सम्पत्तियों पर व्यवसाय आगे ऋण नहीं ले सकते हैं। अतः उधार लेने वाले की ऋण क्षमता कम (घट) हो जाती है।
2. अल्प अवधि ऋण की दशा में यदि ऋण की अवधि बार-बार बढ़ाई जाती है तो इसकी निरन्तरता के बारे में अनिश्चित बनी रहती है।
3. बैंकों से आवधिक ऋण लेने में अनेक वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है जिनके कारण बैंकों से ऋण लेने में समय भी अधिक लगता है व असुविधाजनक भी होता है।

सार्वजनिक जमा

भारत में वित्त प्राप्त करने की यह बड़ी पुरानी विधि है। जब वाणिज्यिक बैंक नहीं थे, लोग अपनी बचतों को प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्थानों में जमा किया करते थे। आज भी यह मध्यावधि एवं अल्पावधि वित्त एकत्र करने की बहुत लोकप्रिय एवं सुविधाजनक विधि है। इस विधि के अन्दर कम्पनियां अपने अंशधारकों, कर्मचारियों एवं सामान्य जनता को अपनी बचतों

को कम्पनी में जमा करने का निमंत्रण देती है। वे इस विधि से कोष एकत्र करती हैं। जनता को आकर्षित करने के लिए साधारण तौर पर बैंक में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर से कम्पनी इस जमा राशि पर ब्याज दर अधिक देती है। व्यापारिक संस्थान सार्वजनिक जमा राशि को 6 माह से 36 माह तक की अवधि के लिए स्वीकार करते हैं।

सार्वजनिक जमा द्वारा कोष एकत्र करने की कार्यविधि

जब कोई संस्थान सार्वजनिक जमा राशियों के माध्यम से कोष एकत्र करना चाहती है तब वह समाचारपत्रों में विज्ञापन देती है। इस विज्ञापन में संस्थान की उपलब्धियों एवं भावी परियोजनाओं पर प्रकाश डाला जाता है तथा निवेशकों को अपनी बचतों को उनके यहां जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये ब्याज की दर की घोषणा करते हैं जो जमा की गई राशि की अवधि के अनुरूप भिन्न भिन्न होती है। इसमें जमा राशियों की वापिसी एवं ब्याज के भुगतान की विधि व समय की भी घोषणा की जाती है। सामान्यतः ये कुछ स्थानीय फर्मों को दलाल के रूप में नियुक्त कर देते हैं तथा जमाकर्ताओं को सेवा प्रदान करने में ये इनकी भी मदद करते हैं।

कुछ कम्पनियों की त्रुटिपूर्ण नीतियों, हेराफेरियों तथा कई वर्षों तक ब्याज न देने, समय पर जमा राशि वापिस न करने आदि को दृष्टि में रखने हुए सरकार ने ऐसे जमाकर्ताओं की सुरक्षा हेतु कुछ नियम बनाये हैं और कम्पनी अधिनियम में कुछ संशोधन किए हैं। अधिकतम ब्याज की दर एवं दलाली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है। जमा राशि प्रदत्त पूँजी एवं साधारण आरक्षित विधि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। कम्पनी के लिए जमाकर्ताओं का रजिस्टर रखना आवश्यक है जिसमें सार्वजनिक जमा राशियों के सभी विवरण रखे जाते हैं।

लाभ

सार्वजनिक जमा राशियों के लाभ निम्नलिखित हैं:

- सरल :** सार्वजनिक जमा राशियों द्वारा धन उधार लेने की विधि अत्यधिक सरल है। इसमें बहुत-सी कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसका विज्ञापन समाचार पत्रों में देना होता है और एक रसीद देनी होती है।
- सम्पत्तियों पर कोई प्रभार नहीं :** सार्वजनिक जमा राशियां सुरक्षित नहीं होती हैं। उनका कम्पनी की स्थायी सम्पत्तियों पर कोई प्रभार नहीं होता है।
- मितव्ययी :** सार्वजनिक जमा राशियों से ऋण लेने पर व्यय अन्य विधियों जैसे अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन पर होने वाले व्यय की अपेक्षा कम होता है।
- लचीलापन :** सार्वजनिक जमा राशियां कम्पनी के पूँजी ढांचे में लचीलापन लाती हैं। जब आवश्यकता हो तब इन्हें एकत्रित किया जा सकता है और आवश्यकता न होने पर वापस लौटाया जा सकता है।



टिप्पणी



टिप्पणी

हानियां

सार्वजनिक जमा राशियों की हानियां निम्नलिखित हैं :

- आनिश्चित्ता :** एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा एवं साथ क्षमता उच्च स्तर की होने पर ही यह जनता को अपनी बचतों को जमा कराने के लिए आकर्षित कर सकता है। कभी भी जमा राशियों की अचानक निकासी हो सकती है जिससे वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जमाकर्ताओं को अच्छे दिनों का मित्र कहा जाता है।
- असुरक्षा :** सार्वजनिक जमा राशियों का व्यापारिक प्रतिष्ठान की सम्पत्तियों पर कोई प्रभार नहीं होता है। कम्पनियों में बचतों को जमा करना सदैव सुरक्षित नहीं होता। विशेष रूप से उन कंपनियों में जिनकी वित्तीय स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ नहीं है।
- सीमित एकत्रित राशि :** सार्वजनिक जमा राशि एक निश्चित सीमा तक ही एकत्रित की जा सकती है।

15.8.6 लाभों का संचय

व्यक्ति के समान ही कम्पनियां भी अपने लाभों का कुछ भाग पूँजी की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथक रख लेती हैं। लाभों का वह भाग जो अंशधारकों में वितरित नहीं किया जाता अपितु रोक लिया जाता है और व्यापार में पुनः विनियोजित कर दिया जाता है, लाभों का संचय या लाभों का पुनः विनियोजन कहलाता है। कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार कम्पनियों के लिए लाभों का कुछ भाग आरक्षित संचिती, सामान्य आरक्षित संचिती, ऋणपत्र शोधन संचिती, लाभांश समानता संचिती, आदि में जमा किया जा सकता है। यह आरक्षित संचिती दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं जैसे स्थायी सम्पत्तियों की खरीद, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण आदि में उपयोग में लाई जा सकती हैं। दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की वित्तीयन की इस विधि को आन्तरिक वित्तीयन कहते हैं।

लाभ

दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने का इस विधि की निम्नलिखित लाभ हैं:

- पूँजी का सस्ता स्रोत :** जब इस स्रोत से पूँजी उपलब्ध हो तब कोई व्यय नहीं करना पड़ता है। कम्पनी पर ब्याज के भुगतान का और धन को वापस लौटाने का कोई दायित्व नहीं होता। व्यापार के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए इसका उपयोग सरलता पूर्वक किया जा सकता है।
- वित्तीय स्थिरता :** ऐसी कम्पनी जिसके पास काफी मात्रा में आरक्षित संचितीयां हैं व्यापारिक उतार-चढ़ावों का आसानी से सामना कर सकती हैं। इस प्रकार की कम्पनियां मंदी के समय में भी अपना व्यवसाय चला सकती हैं और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रख सकती हैं।

3. अंशधारकों को लाभ : अंशधारक निरंतर मिलने वाले लाभांश के प्रति आश्वस्त होते हैं।

जब कम्पनी पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं करती है तब भी आरक्षित निधियों में से लाभांश का भुगतान करती है। यही नहीं, बोनस अंशों के निर्गमन से उनके पूँजी आकार में वृद्धि होती है। आरक्षित संचितियों के कारण शेयर बाज़ार में अंशों के मूल्यों में वृद्धि होती है अर्थात् पूँजी के मूल्य में अभिवृद्धि होती है।

हानियां

दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने की इस विधि की निम्नलिखित हानियां हैं :


- भारी लाभ आवश्यक :** वित्तीयन की यह विधि तभी संभव है जब कम्पनी भारी लाभ अर्जित करती हो और वह भी अनेक वर्षों तक।
- अंश धारकों में असंतोष :** लाभों के संचय के कारण कंपनियां लाभांश का कम भुगतान करती हैं। कम्पनियां अधिक लाभांश भुगतान से बचने के लिए इन संचितियों का उपयोग बोनस अंशों के निर्गमन के लिए भी नहीं करती हैं। इससे अंशधारकों में असंतोष पैदा होता है।
- कोषों का कुप्रबन्ध :** संचित आय के माध्यम से संचित पूँजी प्रबन्धकों को कोषों का उपयोग लापरवाही पूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे लाभार्जन शक्ति कम हो जाती है। यह अंशधारकों के दीर्घकालीन हित में नहीं है।

15.8.7 पट्टा पर वित्तीयन (*Lease Financing*)

पट्टा एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरों की उचित अनुमति से उसकी सम्पत्तियों का बिना क्रय किये उपयोग कर सकता है। सम्पत्तियों के स्वामी को पट्टा प्रदाता एवं सम्पत्ति प्रयोगकर्ता को पट्टाधारी कहते हैं। सम्पत्ति की प्रयोग अवधि को पट्टा अवधि कहते हैं जिसकी समाप्ति पर पट्टाधारी सम्पत्ति को क्रय करने का चयन कर सकता है। इसलिए पट्टा एक ऐसा समझौता है जो व्यापारिक उद्यम को बिना स्वामित्व प्राप्त किये सम्पत्ति पर पूर्ण नियंत्रण एवं उपयोग की सामर्थ्य प्रदान करता है। इसके बदले में स्वामी (पट्टा प्रदाता) को किराया प्राप्त होता है एवं वह किसी भी समय अनुबंध के नियमों के अन्तर्गत समझौता रद्द कर सकता है। यह पद्धति मशीन एवं उपकरण और अन्य स्थायी सम्पत्तियों के क्रय में बिना बहुत अधिक राशि के व्यय किए दीर्घ अवधि के लिए व्यापार में उपयोग में लाने में सहायता प्रदान करती है। पट्टा अवधि की समाप्ति पर सम्पत्ति उसके स्वामी को वापस दे दी जाती है। सम्पत्ति के स्वामी को सम्पत्ति को उसके प्रयोगकर्ता को रियायती मूल्य पर बेचने का विकल्प भी होता है। कभी—कभी पट्टाधारी कम्पनी पट्टा प्रदाता कम्पनी से अपनी सम्पत्ति को क्रय करा कर पट्टे पर उस सम्पत्ति के प्रयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव कर सकती है। इससे पट्टाधारी कम्पनी को दीर्घकालीन कोषों की बचत होती है जिसका प्रयोग अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में किया जा सकता है। इसे 'बिक्री एवं पट्टा वापिसी' पद्धति के नाम से भी जाना जाता है।



टिप्पणी



टिप्पणी

15.8.8 विदेशी विनियोग

व्यवसाय के लिए कोष विदेशी स्रोत तथा विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग (FDI) के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। विदेशी कम्पनियों के सहयोग से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा भारतीय कम्पनी अपनी अंश पूँजी में विदेशी सहयोगियों से अभिदान कराकर समता अंश पूँजी प्राप्त कर सकती है।

कम्पनियां विदेशी वित्तीय संरक्षानों जैसे विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा पुनः वित्तीयन द्वारा ऋण ले सकती हैं। व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन कोष प्राप्त करने की दूसरी विधि भारतीय मूल और राष्ट्रीयता के उन व्यक्तियों को अंश बेचना है जो विदेशों में रह रहे हैं। अप्रवासी भारतीय या अप्रवासी भारतीयों द्वारा नियंत्रित कम्पनी निर्धारित सीमा तक भारतीय कम्पनी की प्रदत्त पूँजी में निवेश कर सकती है।

15.8.9 ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद

ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट (GDRs) एवं अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीप्ट (ADRs) विदेशी स्रोत से कोष प्राप्त करने की अन्य विधियां हैं। इस विधि में भारतीय कम्पनियों के अंश डिपोजिटरी रसीदों के रूप में निर्गमित किए जाते हैं जिन्हें विदेशी शेयर बाजारों में खरीदा—बेचा जाता है। जी.डी.आर. के अंतर्गत कम्पनी के अंश अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा डिपोजिटरी रसीद में परिवर्तित किये जाते हैं। ये डिपोजिटरी रसीद अमेरिकी डालर में मूल्यांकित होती हैं। तब ये डिपोजिटरी रसीदें विदेशी शेयर बाजारों द्वारा विश्व में बेची जाती हैं। जी.डी.आर. धारकों को भी लाभांश प्राप्त करने के अधिकार होते हैं। इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। अनेक भारतीय कम्पनियों जैसे आई.सी.आई.सी.आई, विप्रो, आदि ने जी.डी.आर. निर्गमन द्वारा विदेशी पूँजी जुटाई है।

यू.एस.ए. बैंक द्वारा निर्गमित डिपोजिटरी रिसीप्ट अमेरिकन डिपोजिटरी रसीद के नाम से जानी जाती है एवं इनका केवल अमेरिकी शेयर बाजार में ही व्यापार (लेनदेन) होता है। ये ए.डी.आर. केवल अमेरिकी नागरिकों को ही निर्गमित की जाती हैं।



पाठगत प्रश्न 15.4

1. निम्नलिखित संकेताक्षरों का पुर्ण रूप दीजिए:—

(क) आई.एफ.सी.आई.	(घ) जी.डी.आर.
(ख) एस.एफ.सी.	(ड) एफ.डी.आई.
(ग) एस.आई.डी.सी.	(च) ए.डी.आर.

2. निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का सम्बन्ध दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने का विधि 'सार्वजनिक जमा' अथवा 'लाभों का संचय' किससे है:
- (क) प्रबंधक इस विधि से कोषों के उपयोग लापरवाही से करते हैं।
 - (ख) इस विधि में कोषों को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है।
 - (ग) इसमें लचीलापन होता है तथा आवश्यकता न होने पर कोषों (ऋणों) को वापिस किया जा सकता है।
 - (घ) इनसे अंशधारकों को लाभ होता है क्योंकि उन्हें लाभांश प्रदान करने के लिए कम्पनी इनका प्रयोग करती है।
 - (ङ) कम्पनी पर ब्याज भुगतान अथवा राशि लौटाने का दायित्व नहीं होता।
3. (क) पहुंच पर वित्तीयन द्वारा कोष (धन) कैसे प्राप्त किए जाता है? अपने शब्दों में संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
- (ख) वाणिज्यिक बैंकों से दीर्घकालीन ऋण लेने की दो हानियां लिखिए।



टिप्पणी



आपने क्या सीखा

- प्रत्येक व्यापार को शुरू करने एवं चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक वित्त व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक धन राशि और इसके प्राप्त करने के तरीकों से सम्बन्धित है।
- प्रत्येक व्यापार को कोषों की आवश्यकता स्थायी सम्पत्ति के क्रय, दिन प्रतिदिन के व्ययों, व्यापार विकास, उत्पादन एवं उसके विक्रय के मध्य समय अन्तराल, आकस्मिक व्ययों एवं व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए होती है।
- आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर उत्पादन, आधुनिक तकनीक का प्रयोग एवं विक्रय प्रवर्तन के कारण वित्त का महत्व काफी बढ़ गया है।
- अवधि के आधार पर जिसके लिए कोषों (धनराशि) की आवश्यकता होती है, व्यवसाय वित्त को वर्गीकृत किया जाता है।
 - (क) अल्पकालीन वित्त (एक वर्ष से कम अवधि के लिए)
 - (ख) मध्यकालीन वित्त (एक वर्ष से पांच वर्ष तक के लिए)
 - (ग) दीर्घकालीन वित्त (पांच वर्ष से अधिक के लिए)



टिप्पणी

- व्यवसाय के लिए आवश्यक कोषों को प्राप्त करने के दो स्रोतः
 - (1) आन्तरिक स्रोत— स्वामित्व पूँजी, संचित आय, और
 - (2) बाह्य स्रोत— मित्र एवं सम्बन्धी, बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएं, साहूकार एवं पूँजी बाज़ार, आदि।
- अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने की विधियां:
 1. व्यापारिक साख
 2. बैंक साख — ऋण व अग्रिम, नकदसाख, बैंक अधिविकर्ष, बिलों को बहु पर भुनाना।
 3. आढ़ती कार्य
 4. ग्राहकों से अग्रिम
 5. किश्तों में भुगतान सुविधा
 6. असंगठित क्षेत्रों से ऋण
- बैंक, ऋण एवं अग्रिम, ज़मानत लेकर प्रदान करता है। इससे बैंक अपनी धन-राशि की वापसी को सुनिश्चित करता है।
- बैंक साख के लिए दी जाने वाली प्रतिभूतियां दो प्रकार की हो सकती हैं:
 - (i) व्यक्तिगत ज़मानत
 - (ii) सम्पत्तियों की ज़मानत जैसे कि चलायमान वस्तुएं, अंश एवं स्टॉक, सावधिक जमा रसीद, जीवन बीमा पालिसी, आभूषण या बहुमूल्य धातुएं आदि।
- भारत में लघु उद्योग, रोजगार उपलब्ध कराने, उत्पादों के विभिन्न प्रकारों की आपूर्ति करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास, उद्यमिता हेतु अवसर उपलब्ध कराने इत्यादि में सहायक हैं।
- दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने की विधियां हैं:
 - (i) **अंशों का निर्गमन :** अंश सबसे छोटी इकाई है जिसमें कम्पनी की कुल पूँजी विभाजित होती है। मुख्यतया अंश दो प्रकार के होते हैं।
 - (क) **समता अंश :** ये वे अंश हैं जिन्हें लाभांश के भुगतान या पूँजी के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्राधिमानतापूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश प्रदान करने के उपरान्त ही समता अंशधारकों को लाभांश प्राप्त होता है। समता अंशधारकों के लिए लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है।
 - (ख) **पूर्वाधिकारी अंश :** ये अंश लाभांश प्राप्त करने तथा पूँजी के पुनः भुगतान में प्राधिमानतापूर्ण अधिकार रखते हैं। पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। विभिन्न प्रकार के पूर्वाधिकार अंश जिन्हें एक कम्पनी निर्गमित कर सकती है:




टिप्पणी

- परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश
 - संचयी एवं असंचयी पूर्वाधिकार अंश
 - भागीदार एवं गैर-भागीदार पूर्वाधिकार अंश
 - शोधनीय एवं अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश
- (ii) **ऋणपत्रों का निर्गमन :** कम्पनियां ऋणपत्रों के द्वारा भी कोष (धनराशि) एकत्र करती हैं। इन पर सुनिश्चित प्रतिफल निश्चित दर से ब्याज के रूप में निवेशकों को दिया जाता है। ऋणपत्र धारक कम्पनी के लेनदार होते हैं एवं निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं चाहे कम्पनी को लाभ होता है अथवा नहीं। इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- (iii) विशिष्ट वित्तीय संस्थानों से ऋण (एस.एफ.आई)
- (iv) वाणिज्यिक बैंकों से ऋण
- (v) सार्वजनिक जमा
- (vi) लाभों का संचय
- (vii) पट्टे पर वित्तीयन
- (viii) विदेशी विनियोग
- (ix) ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद



मुख्य शब्द

ए.डी.आर.	बैंक साख	बैंक अधिविकर्ष
पूँजी बाजार	नकद साख	ग्राहकों से अग्रिम
ऋणपत्र	बिल को बट्टे पर भुनाना	लाभांश
जी.डी.आर. आढ़ती कार्य	विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग	
पट्टा आन्तरिक वित्तीयन	निवेश न्यास	
लाभों का पुनर्विनियोजन	दीर्घकालीन वित्त	मध्यकालीन वित्त
लाभों का संचय	पूर्वाधिकार अंश	सार्वजनिक जमा
विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं	अंश	अल्पकालीन वित्त
कार्यशील पूँजी	व्यापार साख	समता पर व्यापार



टिप्पणी



पाठान्त्र प्रश्न

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

- बिल को बहु पर भुनाने का क्या अर्थ है?
- समता पर व्यापार क्या है?
- पहुंच पर वित्तीयन से क्या अभिप्राय है?
- विक्रय एवं पट्टा वापसी का अर्थ बताइए।
- पूर्वाधिकार अंशों का अर्थ बताइए।
- एम.एस.एच.ई. अधिनियम 2006 के अनुसार लघु पैमाने के उद्यम को परिभाषित कीजिए।
- भारत में लघु व्यवसायों की कोई दो भूमिकाएं बताइए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

- जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के मध्य अन्तर्भेद कीजिए।
- “वित्त को व्यवसाय की जीवन—रेखा कहा जाता है, विशेष रूप से वर्तमान समय में।” इसके कारण दीजिए।
- अन्तर्निगम जमाओं से आपका क्या आशय है?
- विभिन्न प्रकार की अन्तर्निगम जमाओं को गिनाइए।
- एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के अनुसार एक लघु उपक्रम को परिभाषित कीजिए।
- भारत में लघु व्यवसाय की किन्हीं पांच भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए।
- किन्हीं दो तरीकों को बताइए जिनसे व्यावसायिक उद्यम बैंक साथ प्राप्त कर सकता है।
- प्रबंध की दृष्टि से समता अंशों के कोई दो लाभ एवं दो हानियां दीजिए।
- पूर्वाधिकार अंशों के चार प्रकारों की व्याख्या कीजिए जिन्हें एक कम्पनी निर्गमित कर सकती है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

- ऋणपत्र क्या है? एक कम्पनी के दीर्घकालीन वित्त स्रोत के रूप में ऋणपत्रों के तीन लाभों एवं तीन हानियों का वर्णन कीजिए।
- दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों, अंशों एवं ऋणपत्रों के मध्य अंतर बताइए।
- विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से क्या अभिप्राय है? दीर्घकालीन वित्त के स्रोत विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के दो लाभ एवं दो हानियों को बताइए।

20. विभिन्न प्रकार की अन्तर्निंगम जमाओं की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
 21. उन मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, जिनके लिए व्यवसाय को वित्त की आवश्यकता होती है।
 22. उन उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए जिनके लिए व्यवसाय को कोषों (पूँजी) की आवश्यकता होती है।
 23. व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए:
 - (i) लाभों का संचय; और
 - (ii) सार्वजनिक जमा।



टिप्पणी



पाठगत प्रश्नों के उत्तर



ਡਿੱਧੀ

- (ख) पूर्वाधिकार अंशों को पूँजी वापस करने के बाद ही अंश पूँजी वापस दी जाती है।

- (ग) अंशधारकों को मताधिकार प्राप्त होता है।

- (घ) लाभांश जिनका भुगतान नहीं किया गया है को संचित कर भविष्य के वर्षों में ले जाये जाते हैं।

2. (i) पूर्वाधिकार अंश (ii) ऋणपत्र (iii) समता अंश
(iv) समता अंश (v) ऋण पत्र

3.	आधार	अंश	ऋणपत्र
	(i) स्थिति	कम्पनी के स्वामी होते हैं।	कम्पनी के ऋणदाता होते हैं।
	(ii) अधिकार	मतदान का अधिकार, कम्पनी की नीतियों का निर्धारण।	कम्पनी की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं। प्रबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं।
	(iii) ज़मानत	आवश्यक नहीं	सामान्यतः सुरक्षित, अतः ऋणपत्र निर्गमन के समय पर्याप्त स्थायी सम्पत्तियां आवश्यक।
	(iv) जोखिम	अधिक	कम जोखिम।

4. (क) ब (ख) ब (ग) स

15.4

1. (क) ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद
(ख) अमेरिकन डिपोजिटरी रसीद



करें एवं सीखें

अपने क्षेत्र के दो बैंकों की शाखाओं में जाइए एवं जानकारी प्राप्त कीजिए कि वे किन तरीकों से व्यावसायिक उद्यमों को वित्त प्रदान करते हैं। इस प्रकार के वित्त के लिए वे किस प्रकार की जमानत स्वीकार करते हैं। इसकी भी जानकारी प्राप्त कीजिए।



अभिनयन

इमरान ने 25,000 रुपये की पूँजी लगाकर एकल स्वामित्व के रूप में कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया था। अब उसने दो वर्षों के बाद अपने बढ़ते हुए व्यवसाय को चलाने के लिए कम्पनी के गठन का निर्णय किया है। उसने वित्त परामर्शदाता श्रीमति ज्योति से परामर्श मांगा कि वह उन वित्तीय स्रोतों के बारे में जानकारी दें जिनसे वह अपनी कम्पनी के लिए दीर्घकालीन कोष (धन) प्राप्त कर सकता है। ज्योति एवं इमरान के मध्य ज्योति के कार्यालय में हुए वार्तालाप का सारांश निम्नलिखित है:

इमरान : अच्छा मैडम, वे कौन—से तरीके हैं, जिनसे अपने बढ़ रहे व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन कोष (धन) प्राप्त कर सकता हूँ?

ज्योति : मिस्टर इमरान, आज के समय में आपके पास चुनने के लिए वित्त प्राप्ति के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। मैं आपको सुझाव दूँगी कि इनमें से प्रत्येक के गुण—दोषों की तुलना करें और तब ही यह निश्चय करें कि आपके व्यवसाय की विशेष आवश्यकता के लिए कौन—सा स्रोत उपयुक्त होगा।

इमरान : आह! यह मेरे लिए अच्छा रहेगा यदि आप विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालें क्योंकि इनके विषय में मैं कुछ नहीं जानता हूँ।

ज्योति : हां अवश्य! सर्वप्रथम मेरे मन में पूँजी बाज़ार से कोषों को प्राप्त करना आता है। यह तीन तरीकों, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश एवं ऋणपत्रों, के निर्गमन द्वारा किया जा सकता है।

इमरान : रुकिए मैडम, एक के बाद एक, कृपया क्या आप पहले मुझे समता अंशों के बारे में बता सकती हैं।

अब इन दोनों के मध्य हो रहे वार्तालाप को जारी रखें। आप ज्योति की भूमिका और अपने एक अन्य मित्र को इमरान की भूमिका निभाने के लिए कहें। इस अभिनयन के द्वारा आप आनन्द प्राप्त कर सकते हैं एवं दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं।



टिप्पणी